## प्रसार भारती / PRASAR BHARATI (भारत का लोक सेवा प्रसारक) / (INDIA'S PUBLIC SERVICE BROADCASTER) दूरदर्शन महानिदेशालय / DG: DOORDARSHAN कॉपरनिकस मार्ग / COPERNICUS MARG, नई दिल्ली / NEW DELHI-110001

## F.No. 904/51/2022-23/APIO/RTI/CAPIO/CPIO/FAA

Dated : 13.10.2023

## कार्यालय आदेश / Office Order

## विषय/Subject : दूरदर्शन के प्रशासनिक अनुभाग (एस-4) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवंम प्रथम अपीलीय अधिकारी के नामांकन हेत्।/ Declaration of CPIO & FAA for S-IV Section, DG:DD.

महानिदेशालय: दूरदर्शन कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.07.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती सचिवालय के अनुमोदन से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) & 19(1) के तहत एस-4 अनुभाग, के सूचना का अधिकार संबंधित सभी मामलों के लिए श्री आशेष कुमार, उप-निदेशक (प्रशा.) को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी एवंम सुश्री नीलम सिँह, उप-महानिदेशक (HR-E) को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है।

In partial modification of DG:DD office Order of even number dated 31.07.2023. The CEO, Prasar Bharati has accorded its approval to designate Shri Ashesh Kumar, Dy. Director (Admn.) as Central Public Information Officer under Section 5(1) and Ms. Neelam Singh, Dy. Director General (HR-E) as First Appellate Authority under Section 19(1) of Right to information Act, 2005 in respect of all RTI matters pertaining to S-IV Section of DG: Doordarshan.

~ろビラ A

(Surender Singh) Dy. Director General (Admn.) & CPIO (RTI)

To,

- सुश्री नीलम सिँह, उप-महानिदेशक (HR-E) एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, एस-4 अनुभाग, डीजी:डीडी / Ms. Neelam Singh, Dy. Director General (HR-E) & First Appellate Authority (S-IV Section) DG:DD.
- 2. श्री आशेष कुमार, उप-निदेशक (प्रशा.) एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी एस-4 अनुभाग, डीजी:डीडी / Shri Ashesh Kumar, Dy. Director (Admn.) & CPIO (S-IV Section) DG:DD.

Copy to := 9

Shri S.A. Tripathi, DDG(E) & CPIO, Prasar Bharati Sectt. with a request to upload the above Officer Order on the RTI webpage and e-office notice board.